राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांकः प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2014 जयपुर, दिनांक : 13 दिसम्बर, 2016

परिपत्र

विषय :– राजकीय व्यय में वित्तीय प्रबन्धन व बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित किये जाने बाबत्।

लोक वित्तीय प्रबन्धन की दृष्टि से वित्तीय वर्ष के दौरान राजकीय व्यय की समान गति बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार सभी प्रशासनिक विभागों/बजट नियंत्रण अधिकारियों से यह सुनिश्चित किया जाना भी अपेक्षित है कि निधियों को तभी आहरित किया जायें जब भुगतान करने की आवश्यकता हो। बजट अनुदान को व्यपगत (Lapse) होने से बचाने की दृष्टि से निधियों को आहरित कर उन्हें लोक लेखे या बैंक में जमा करना निषिध है।

इसके साथ ही नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों (राज्य वित्त) में भी यह इंगित किया जाता रहा है कि व्यय की समान गति बनाये रखना सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन का घटक है। विभागों द्वारा वर्ष के अंत में बड़ी राशि खर्च करना व्यय पर कमजोर वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में व्यय की अधिकता से बचना चाहिए।

अतः सभी विभागों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम माहों में व्यय की अधिकता की प्रवृति पर रोक लगाई जावे तथा समानुपातिक मासिक व्यय सुनिश्चित किया जावे।

13/XII/16.

(नवीन महाजन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण/राजस्थान, जयपुर ।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम विभाग), राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय उपक्रम।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/ उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
9. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
10. प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) को पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित।
11. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(शरद मेहरा)
निदेशक, वित्त (बजट)

[11 / 2016]